न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 97/2020

1. अजय कुमार पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. पवन कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री पवन कुमार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भाडी के खाता सं0 220/203 के खसरा सं0 409 की 2.7830है0, खसरा सं0 420 की 2.1380है0, खसरा सं0 468 की 0.3160है0, खसरा सं0 469 की 1.4670है0 कुल 6.7040है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/18 हिस्सा व रोही मोजा भाडी के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5660है0, खसरा सं0 297 की 5.4140है0, खसरा सं0 324 की 7.1600है0, खसरा सं0 707 की 4.1490है0 कुल 22.2890है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अजयकुमार व प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10·2·2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 97/2020

1. अजय कुमार पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. पवन कुमार पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री पवन कुमार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**
वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 10.2.2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भाडी के खाता सं0 220/203 के खसरा सं0 409 की 2.7830है0, खसरा सं0 420 की 2.1380है0, खसरा सं0 468 की 0.3160है0, खसरा सं0 469 की 1.4670है0 कुल 6.7040है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/18 हिस्सा व रोही मोजा भाडी के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5660है0, खसरा सं0 297 की 5.4140है0, खसरा सं0 324 की 7.1600है0, खसरा सं0 707 की 4.1490है0 कुल 22.2890है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता हनुमानसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। हनुमानसिंह के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 पवनकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। [illegible] सं 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः [illegible]

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु अजय कुमार पुत्र [illegible] कुमार जाति जाट निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाडी खाता सं0 220/203 व 248/260 संवत 2071–74 प्रदर्श कमशः 1 व 2, जमाबंदी रोही भाडी खाता सं0 203/207 व 260/24 संवत 2067–70 प्रदर्श कमशः 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में पवन कुमार के एक पुत्र अजय कुमार व एक पुत्री कमलेश के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा भाडी के खाता सं0 220/203 के खसरा सं0 409 की 2.7830है0, खसरा सं0 420 की 2.1380है0, खसरा सं0 468 की 0.3160है0, खसरा सं0 469 की 1.4670है0 कुल 6.7040है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/18 हिस्सा व रोही मोजा भाडी के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5660है0, खसरा सं0 297 की 5.4140है0, खसरा सं0 324 की 7.1600है0, खसरा सं0 707 की 4.1490है0 कुल 22.2890है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भाडी के खाता सं0.220/203 के खसरा सं0 409 की 2.7830है0, खसरा सं0 420 की 2.1380है0, खसरा सं0 468 की 0.3160है0, खसरा सं0 469 की 1.4670है0 कुल 6.7040है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/18 हिस्सा व रोही मोजा भाडी के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5660है0, खसरा सं0 297 की 5.4140है0, खसरा सं0 324 की 7.1600है0, खसरा सं0 707 की 4.1490है0 कुल 22.2890है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अजयकुमार व प्रतिवादी सं0 1 पवन कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner